

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

9
25

पत्रावली पैरा हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर भी तामीजिन एवं उनके अधिवक्ता उप० नहीं हुए। अतः मु० नं० 04/17 उम्मान मूर्ती मन्दिर कशोरायणी वनाम रामनिवास तामना पर अस्याई निवेद्याज्ञा व कायमी रिन्नीकद अरम पैरबी अरम हाजबी में खरिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बार तकनीक में से कम की जाकर मूल उर्वे के साथ शामिल मिसल रहे।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया

गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

2

17